

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,****PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO. 17 OF 2019****IN THE MATTER OF:****HARIRAM SINGH & ORS.****..... APPELLANTS****~~-VERSUS-~~****STATE OF BIHAR & ORS.****..... RESPONDENTS****FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT BY BIHAR STATE****POLLUTION CONTROL BOARD (NODAL AGENCY) IN****COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 14.01.2019.**

In compliance with the orders dated 14.01.2019 and 06.05.2019 by the Hon'ble Tribunal, the Respondent Bihar State Pollution Control Board (Nodal Agency) begs to humbly state as hereunder:-

1. **WHEREAS**, the Hon'ble Tribunal in Their order dated 14.01.2019, in the instant matter, registered an application on a letter – complaint addressed to the Hon'ble Tribunal and the

Hon'ble Tribunal directed the Respondent Board including the District Magistrate, Muzaffarpur to look into the matter, raised in the complaint, under reference, and further to take appropriate steps as permissible under the law and to file a factual Action Taken Report within one month through e-mail.

2. **WHEREAS**, in compliance with the order dated 06.05.2019 of the Hon'ble Tribunal, an explanation, as sought, was submitted by e-mail on 27/29.07.2019 for kind appreciation.
3. **WHEREAS**, further in compliance with the order dated 14.01.2019 passed by the Hon'ble Tribunal, the Respondent Board constituted a Three Member Committee, vide Board's letter no. 3024 dated 27.07.2019, comprising of the Transport Commissioner or his representative; District Magistrate or his representative; and the Regional Officer, Muzaffarpur of the Respondent Board as Members to look into the matter alleged by complainant regarding illegal conversion of old vehicles by giving Nagaland numbers with the connivance of Bharat Petroleum Co. Ltd. (BPCL) and Indian Oil Corporation Ltd. and Transport Department Officers at Muzaffarpur and thereby causing lot of pollution while transporting clinkers.

4. **WHEREAS**, the Committee, so constituted, conducted an inspection on 13 & 14<sup>th</sup> of August, 2019 and during inspection, following factual findings were noted:-

ii. Bharat Petroleum Corporation Limited, Sherpur, Muzaffarpur (BPCL), when inspected, revealed that its storage depot, had petrol and diesel storage, which are transported from Railway tank and transported out to the different district of the State of Bihar for sale through tankers. It was, further, informed by the officials of BPCL that all the tankers, which entered into their premises, had the required fitness and Pollution under Control Certificate (P.U.C.). Vehicles assembled under local arrangements were not allowed in their premises for loading, unloading and transportation purposes.

The Committee procured the list of tank Lories, which plied in the Oil Depot between 01.08.2019 and 12.08.2019. Papers of such tanker Lories were examined and found genuine.

iii. Indian Oil Corporation Ltd. (Indian Bottling Plant), Sherpur, Muzaffarpur was also visited by the team and

procured information in the light of the Complaint, under reference. Upon query from the officials of the Indian Oil Corporation, it revealed that Muzaffarpur, Eastern Champaran, etc. fall under their jurisdiction in which they supplied LPG Cylinder through trucks. They also informed that for loading the LPG cylinder, trucks are registered for this purpose after examining papers relating to fitness, PUC, etc. Vehicles assembled and made under local arrangement are not allowed registration and entry into their premises.

The committee procured the list of such vehicles being used by the Indian Oil Corporation, which operated for them during 01.08.2019 and 12.08.2019. Further, papers relating to fitness, etc. of thirteen (13) such trucks in the premises, were also examined.

From the overall inspection of the aforesaid two Oil Companies, it could be seen that no vehicle of the type, as alleged by the Complainant, was in use by them. They had methodical and organised arrangement for the use of such trucks.

- iii. The Complainants, namely, Shri Hariram Singh, Shri Ravi Shankar Singh, Shri Raman Kumar, Shri Raj Narayan Singh and Shri Ram Babu Singh, all residents of Sherpur were verified about their identity and address, but nobody could confirm such names to be the names in the Sherpur village. The Mukhiya, Md. Ali Irfan, Shri Alok Kumar Tiwari and Shri Vinay Kumar Tiwari, residents of Sherpur, were contacted to get the whereabouts of the complainants, who informed that due to personal dispute, the fake complaint has been lodged by fictitious names. On the roads of Muzaffarpur town also, locally fabricated vehicles were not found plying.
- iv. At the railway siding, viz. Narayanpur Anant located at Muzaffarpur railway, the work of loading and unloading of clinker has been closed since February, 2019 and, therefore, no emission of dust can be alleged.
- v. The allegation, thus, under Para 1 of the Complaint, under reference, regarding receiving vehicles from Nagaland in Muzaffarpur, is not correct.

[M]. The officials informed the Committee further that few trucks of the alleged type had been brought to Muzaffarpur by their owners for registration/ entry, but they were not allowed by Muzaffarpur, R.T.O. Those vehicles were, however, allowed entry by the R.T.O., Gaya District and, therefore, a Writ Petition, bearing C.W.J.C. No. 13862/2018 [Satyendra Kumar Singh Vs. State of Bihar & Ors.] was filed before the Hon'ble Patna High Court, Patna, which is pending for adjudication. The committee, therefore, felt that it would be wrong to allege that for temporary benefit lives of lakhs of people have been put at stake.

*Xerox copy of the Inspection report (without annexed list of vehicles) is attached for reference.*

5. **WHEREAS**, from the facts revealed by the inspection conducted by the Committee, it would appear that the allegations made and levelled by the Complainants are not correct.

The Respondent Board, however, has decided to continue with this campaign of checking all the trucks / Lorries crossing

through Muzaffarpur township to verify their status in terms of facts alleged by the complainant and for this members of the committee viz. District Magistrate and the Transport Commissioner are being requested.

In the light of the aforesaid facts and circumstances, stated hereinbefore, it is humbly prayed that this report, as directed, may be accepted.

And for this act of your kindness, the Answering Respondent shall ever pray.

*Alok Kumar*

(Alok Kumar)  
Member - Secretary

माननीय एन.जी.टी., प्रधान बेंच, नई दिल्ली में दायर OA No.- 17/2019, हरिराम सिंह एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में प्राप्त शिकायत में तथ्यों के निरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा जॉच प्रतिवेदन।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी., प्रधान बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2019

निरीक्षण-सह-जॉच की तिथि: 13 / 14.08.2019

निरीक्षण कार्य गठित समिति के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा की गयी:

1. श्री अतुल कुमार वर्मा,  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव/प्रभारी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर;  
(परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि)
2. श्री नजीर अहमद,  
जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर;  
(जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि)
3. श्री अनिल कुमार,  
क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फरपुर।  
(नोडल एजेंसी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के प्रतिनिधि)

**(क) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, ग्राम-शेरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।**

1. प्रासंगिक शिकायत पत्र के आलोक में समिति द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, ग्राम-शेरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर के ऑयल डिपो के निम्नलिखित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गयी;
  - (i) श्री उत्तम कुमार मिन्ज, टेरीटोरी मैनेजर, मो० न०- 9874037999;
  - (ii) श्री दीपायन राय, सिनियर मैनेजर (डिपो इंचार्ज), मो० न०- 9933050509; एवं
  - (iii) श्री कंचन साधु, असिस्टेंट मैनेजर, मो० न०- 8016090993।
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० का यह पेट्रोल एवं डीजल का स्टोरेज डिपो (क्षमता- 19505 किलोलीटर) हैं तथा डिपो में पेट्रोल एवं डीजल रेलवे टैंक के माध्यम से आता हैं। डिपो से औसत पेट्रोल: 600-700 किलोलीटर प्रतिदिन तथा डीजल: 1200 किलोलीटर प्रतिदिन टैंकर में लोड कर राज्य के जिलों (पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पटना, आरा आदि) के पेट्रोल पम्पों पर विक्रय हेतु टैंक लोरी द्वारा भेजा जाता हैं।
3. ऑयल डिपो के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि जितने भी टैंक पेट्रोल-डीजल के लोडिंग हेतु परिसर में आते हैं उनके कागजात (फिटनेस एवं पी.यू.सी. प्रमाण पत्र) की पूरी तरह जॉच पड़ताल के उपरान्त ही उन्हें संचालन की स्वीकृति दी जाती हैं। लोकल व्यवस्था के तहत बनाई गयी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित हैं।

4. ऑयल डिपो में दिनांक 01.08.2019 से 12.08.2019 तक संचालित टैंक लोरी की सूची प्राप्त की गयी जो इस पत्र के साथ संलग्न हैं (अनुलग्नक-I)। साथ ही मुजफ्फरपुर के ट्रांसपोर्टरों तथा पेट्रोल-डीजल के डीलरों के टैंक लोरी जो इस डिपो में लोडिंग हेतु आते हैं उनकी सूची भी प्राप्त की गयी तथा पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं (अनुलग्नक-II)।
5. उपरोक्त के आलवा ऑयल डिपो परिसर के अन्दर निम्नलिखित नौ टैंक लोरी के फिटनेस सर्टिफिकेट तथा पी.यू.सी सर्टिफिकेट की जाँच की गयी तथा सभी की छायाप्रति भी ली गयी एवं सभी की प्रतियाँ संलग्न की जा रही हैं (अनुलग्नक-III)।

| क्र०सं० | वाहन रजिस्ट्रेशन न० |
|---------|---------------------|
| 1.      | BR04J2921           |
| 2.      | BR06GC3727          |
| 3.      | BR31G0558           |
| 4.      | BR02GA4665          |
| 5.      | BR01GC7487          |
| 6.      | BR01GB0501          |
| 7.      | BR01GA3214          |
| 8.      | BR06GC3190          |
| 9.      | BR44G0119           |

उपरोक्त सभी के पास मान्य (Valid) फिटनेस तथा पी.यू.सी सर्टिफिकेट पायी गयी।

**(ख) इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० (इण्डेन बॉटलिंग प्लांट), ग्राम-शेरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर**

1. प्रासंगिक शिकायत पत्र के आलोक में समिति द्वारा इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० (इण्डेन बॉटलिंग प्लांट), ग्राम-शेरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर के एल.पी.जी बॉटलिंग प्लांट के निम्नलिखित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गयी;
  - (i) श्री जितेन्द्र मुर्मू, चीफ प्लांट मैनेजर, मो० न०-9771432930.
2. इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० (इण्डेन बॉटलिंग प्लांट) का एल.पी.जी बॉटलिंग क्षमता-35000 सिलेण्डर प्रतिदिन हैं तथा अपने क्षेत्राधिकार मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चम्पारण आदि जिलो में ट्रक के माध्यम से संबंधित डीलरों को एल.पी.जी सिलिण्डर आपूर्ति की जाती हैं।
3. इण्डेन बॉटलिंग प्लांट के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि परिसर में एल.पी.जी सिलिण्डर के लोडिंग हेतु ट्रको का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के समय ट्रको के फिटनेस, पी.यू.सी प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजातों की जाँच पड़ताल करने के उपरान्त ही उन्हें संचालन की स्वीकृति दी जाती है। लोकल व्यवस्था के तहत बनाई गयी गाड़ियों का प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है।
4. इण्डेन बॉटलिंग प्लांट में दिनांक 01.08.2019 से 12.08.2019 तक संचालित ट्रक की सूची प्राप्त की गयी, जो इस पत्र के साथ संलग्न हैं (अनुलग्नक-IV)। साथ ही मुजफ्फरपुर के ट्रांसपोर्टरों के ट्रको, जो इस डिपो में प्रवेश हेतु रजिस्टर्ड हैं एवं लोडिंग हेतु आते हैं उनकी सूची भी प्राप्त की गयी तथा पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं (अनुलग्नक-V)।
5. उपरोक्त के आलवा इण्डेन बॉटलिंग प्लांट परिसर के अन्दर निम्नलिखित 13 ट्रको के फिटनेस सर्टिफिकेट तथा पी.यू.सी सर्टिफिकेट की जाँच की गयी तथा इनमें से

निम्नलिखित आठ को दोनों मान्य (Valid) प्रमाण पत्र थें सभी की छायाप्रति भी ली गयी; सभी की प्रतियाँ संलग्न की जा रही हैं (अनुलग्नक-VI)।

| क्र०सं० | वाहन रजिस्ट्रेशन न० |
|---------|---------------------|
| 1.      | BR02GA-8525         |
| 2.      | BR02GA-8523         |
| 3.      | BR02GA-8337         |
| 4.      | BR02GA-8527         |
| 5.      | BR02GA-8526         |
| 6.      | BR30G1915           |
| 7.      | BR30G1917           |
| 8.      | WB37B4588           |

इसके अतिरिक्त पाँच निम्नलिखित ट्रको की जाँच की गयी, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध था लेकिन पी.यू.सी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध नहीं था, जो निम्नप्रकार हैं (अनुलग्नक-VII):

| क्र०सं० | वाहन रजिस्ट्रेशन न० |
|---------|---------------------|
| 1.      | BR30GA0599          |
| 2.      | BR01GF3454          |
| 3.      | BR30GA0604          |
| 4.      | BR28GA1694          |
| 5.      | BR30GA9601          |

(ग) शिकायत पत्र में अंकित शिकायतकर्ता- श्री हरेराम सिंह, श्री रविशंकर सिंह, श्री रमन कुमार, श्री राज नारायण सिंह एवं श्री रामबाबु साह, सभी शेरपुर वासी के प्रसंग में शेरपुर गाँव के निम्नलिखित व्यक्तियों से इनके पता के संबंध में पूछ-ताछ की गयी ताकि शिकायत के संबंध में उनसे विशेष जानकारी प्राप्त की जा सके। लेकिन शेरपुर गाँव में पूछ-ताछ करने पर शिकायतकर्ता के पता के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सका। लोगों का कहना था कि वे इन व्यक्तियों को नहीं जानते हैं।

(i) मो० अली इरफान उर्फ अफरोज, मुखिया, ग्राम-शेरपुर, मो० न०-9334130052;

(ii) श्री अशोक कुमार तिवारी, नागरीक शेरपुर; एवं


(iii) श्री विनय कुमार तिवारी, नागरीक शेरपुर।

ग्राम- शेरपुर के मुखिया मो० अली इरफान द्वारा बताया गया कि ट्रांसपोर्टों के आपसी विवाद के कारणवश फेक (Fake) नाम से शिकायत की गयी हैं।

(घ) मुजफ्फरपुर शहर के सड़को पर कही भी लोकल व्यवस्था के तहत बनायी गयी ट्रको एवं लोरी का परिचालन होते नहीं पाया गया।

(ङ) नारायणपुर अनंत, मुजफ्फरपुर स्थित रेलवे साईडिंग पर क्लींकर का अनलोडिंग/लोडिंग का कार्य, जिसके कारण काफी धूल-कण का उत्सर्जन होता था; फरवरी, 2019 से बंद हैं।

(च) आरोप पत्र 765/DAK दिनांक 01.12.2018 द्वारा पहला पारा में लगाया गया आरोप सत्य नहीं है कि नागालैण्ड की गाड़ी मुजफ्फरपुर में इन्ट्री कर लिया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुछ गाड़ियों (ट्रक) के मालिक द्वारा नागालैण्ड से मुजफ्फरपुर में निबंधन/इन्ट्री हेतु NOC, RTO मुजफ्फरपुर के नाम कागजात बनावकर लाया गया। परन्तु RTO मुजफ्फरपुर द्वारा इसे इन्ट्री नहीं किया गया। इन वाहनों को RTO, Gaya द्वारा इन्ट्री कर लिया गया। इस संबंध में एक रिट याचिका संख्या 13862/2018, सत्येन्द्र कुमार सांडिल्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है। इसलिए यह आरोप कि क्षनिक लाभ के चलते लाखों लोगों की जान की परवाह की बात लिखना निराधार/असत्य है।

  
14.08.19  
(अनिल कुमार)  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्  
मुजफ्फरपुर।

  
(नजीर अहमद)  
जिला परिवहन पदाधिकारी  
मुजफ्फरपुर

  
(अतुल कुमार वर्मा)  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव/प्रभारी,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
मुजफ्फरपुर